



कार्यालय अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर म.प्र

पता मालगोदाम चौक के पास साउथ सिविल लाईन जबलपुर
 टेलिफोन नं 0761-2626622 web site elginhospital.com ई मेल elginhospitaljbp@gmail.com



क्रमांक/आर.के.एस./2022/ 2365

जबलपुर,दिनांक

सीमित निविदा की सूचना

16.9.22

विषय- चिकित्सालय में नया ETP Tank बनाये जाने हेतु सीमित निविदा को वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

चिकित्सालय में नया ETP Tank बनाये जाने हेतु सीमित निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। व्ययक निविदा बंद लिफाफे में DR विक्स के अंदर उपलब्ध करावे।

परिशिष्ट - अ

Sl.No.	Description	Details (Write details against each information)
1	Name of the firm	
2	Address of the firm	
3	Contact Details of the firm	
4	Part Number with proofs Attached	
5	Registration in Jabalpur Madhya Pradesh Shops & Establishment	
6	GST Registration No with copy of certificate attached	
7	Firm Income tax return of last one years financial years with proofs attached	

कार्यालय अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर म.प्र पता मालगोदाम चौक के पास साउथ सिविल लाईन जबलपुर में नया ETP Tank बनाये जाने हेतु के लिये सीमित निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।

परिशिष्ट - ब

नया ETP Tank बनाने की दरें

क्र	वर्णन जहां कार्य होना है।	कार्य दर
1	लेबर रूम	
2	पैथोलॉजी लैब	

नोट टेक्स शासन द्वारा निर्धारित रहेगा।

सीमित निविदा की सामान्य शर्तें

1. चिकित्सालय नया ETP Tank बनाने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जा रही है।
2. सीमित निविदा की परिशिष्ट- एक सुपाठय शब्दों में भरकर प्रेषित किया जाना होगा। विलंब निविदा में किसी भी प्रकार का टेंडर फी, ऑफर वाइटिंग सूचना अप्रैप्ट अंक स्वीकार नहीं होगी। लिफाफे को सील बंद कर एवं तीसरे लिफाफे पर कार्य का नाम एवं निविदाकार का नाम विवरण संक्षिप्त किताब में उचित अंश में लिखा जाएगा।
3. कोटेशन खोली जाने पर सर्वप्रथम समस्त निविदाकारों के तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा।
4. किसी भी सीमित निविदा को स्वीकृत पूर्व या पश्चात अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
5. सूचना का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अंतिम समान शर्तें एवं दरों पर अधिकतम 6 माह या नवीन निर्धारित निविदा जो पहले होने तक के लिए उपर्युक्त इष्टतम में दृढ़ाई जा सकेगी।
6. निविदादाता को समस्त कार्य उक्त मुचलता एवं संबंधित कार्य के लिये निर्धारित माप दरों के अनुसार करने को प्रोत्साहित है। कार्य/अंश जहाँ किये जाने वाले कार्य अपादन के दौरान यदि किसी स्तर पर बंद प्रतीय होता है कि निर्धारित मुचलत एवं मापदण्डों के स्तर में किसी प्रकार का समझौता किया गया है तो कार्य बंद कर लिया गया है तो समस्त कार्य निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदादाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजस्व की जाएगी।
7. निविदा न्यूनतम प्रभावित दर पर स्वीकृत की जायेगी।
8. बजट की उपलब्धता के अनुसार विलंब का मुचलत किया जायेगा।
9. सीमित निविदा की समयावधि को आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकेगा।
10. किसी भी विवाद कि विधि में अधीक्षक रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा जो निविदाकार को बंधनकारी होगा।

पु क्रमांक/आर.के.एस./2022/ 2366

राकेश साहू डी.ई.ओ. स्थानीय चिकित्सालय की ओर लेख है कि निविदा सूचना चिकित्सालय की वेब साइट पर अपलोड करें।

अधीक्षक
 रानी दुर्गावती चिकित्सालय
 जबलपुर

जबलपुर,दिनांक

16.9.22

अधीक्षक
 रानी दुर्गावती चिकित्सालय
 जबलपुर